

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली
बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

- श्री दिलीप पुत्र घीसुलाल नाई निवासी पलानाकलां तहसील, घासा।

.....वादी

बनाम

- श्री रामलाल पुत्र देवा नाई निवासी मण्डप, तहसील घासा।
- लोगरिया पुत्र देवा नाई निवासी मण्डप, तहसील घासा।
- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 47/24 (वाद) जीसीएमएस : 2024/115

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मण्डप पटवार हल्का, पलानाखुर्द तहसील, घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 72 पर दर्ज आराजियात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1	दिलीप पुत्र घीसुलाल नाई सा. पलानाकलां खातेदार रहन- पंजाब नेशनल बैंक शाखा फतेहनगर	386/1	0.0615	-	-
	योग	किता-01	0.0615	-	-
2	रामलाल पुत्र देवा हिस्सा 1/2 नाई सा.देह खातेदार रहन- बैंक ऑफ बडोदा शाखा मावली लोगर पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/2 नाई सा.देह खातेदार	386/2	0.1232	-	-
	योग	किता-01	0.1232	-	-
3	दिलीप पुत्र घीसुलाल हिस्सा 1/3 नाई सा. पलानाकला रहन- पंजाब नेशनल बैंक शाखा फतेहनगर रामलाल पुत्र देवा हिस्सा 1/3 नाई सा. देह खातेदार रहन- बैंक ऑफ बडोदा शाखा मावली लोगर पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/3 नाई सा. देह खातेदार	386/3	0.0176	-	-
	योग	किता-01	0.0176	-	-

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.01.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

